

दिनांक

आदेश

अभ्युक्ति

21.08/19

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक खेत्रो पुरती, पिता- स्व0 डुबलिया पुरती, ग्राम- बाईहातु, थाना- मुपफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- दुम्बीसाई, थाना- 643, खाता नं0- 56, प्लॉट नं0- 438, रक्वा- 0.05 एकड़ भूमि क्रेता प्रीति बोयपाई, पिता- माका बोईपाई, ग्राम- पान्डावीर, थाना- मुपफसिल के पास में विक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की विक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के नाम पर ना0 मु0 सं0- 63/2005-06 द्वारा नामांतरित है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 526, दिनांक- 30.07.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता प्रीति बोयपाई, पिता-माका बोयपाई, ग्राम-पान्डावीर, थाना- मुपफसिल, के पास 3,31,000.00/- (तीन लाख एकतीस हजार) रुपये में विक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुपफसिल के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ईलाका मानकी का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की विक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 4.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ईलाका मानकी के अनुशंसा के आलोक में आवेदक खेत्रो पुरती, पिता-स्व0 डुबलिया पुरती, ग्राम-बाईहातु, क्रेता प्रीति बोयपाई पिता- माका बोयपाई ग्राम-पान्डावीर थाना- मुपफसिल के पास 3,31,000.00/- (तीन लाख एकतीस हजार) रुपये में मौजा-दुम्बीसाई, थाना- 643, खाता नं0- 56, प्लॉट नं0-438, रक्वा- 0.05 एकड़ भूमि को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित।


भूमि सुधार उपसामाहर्ता
सदर चाईबासा।


भूमि सुधार उपसामाहर्ता
सदर चाईबासा।